

170.




राजस्वमंडळ व्याकिन्हर के मध्य
माननीय न्यायालय द्वारा जनमुक्ति अधिकार सम्बाग उच्चेन : मध्यप्रदेशः

K
27-4-12

प्रकरण क्रमांक.

निगरानी २०११-१२.

R - 1134-PB/12



- १- पूर्णेन्द्र वात्मन स्व० सदाशिवन्द्र व्यास
- २- फैन्द्र उर्फ संबय वात्मन स्वत्तदाशिवन्द्र व्यास
समस्त निवासीगण ग्राम टीक लूर्ड तहसील टीकलूर्ड
जिला देवास : म०प्र०: कृषक ग्राम मौलगा तहसील
तराना जिला उच्चेन : म०प्र०:

— रीविजनकर्ता

विरुद्ध.

- ३- रामबाबू पिता स्व० शंकरलाल बी जीशी,
 - ४- कमलकिशोर पिता स्व० शंकरलाल बी जीशी,
 - ५- श्रीमती शकुन्तलादेवी पति स्व० शंकरलाल बी जीशी
 - ६- बीमप्रकाश वात्मन स्व० नन्दकिशोर बी जीशी,
 - ७- धर्मेन्द्र वात्मन स्व० नन्दकिशोर बी जीशी,
 - ८- राजेन्द्र वात्मन स्व० नन्दकिशोर बी जीशी,
 - ९- बाबूलाल वात्मन स्व० नन्दकिशोर बी जीशी,
- सभी निवासीगण ग्राम मौलगा तहसील तराना जिला
उच्चेन : म०प्र०:

— बनावेदकगण.

रीविजन अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता
१९५६.

विवादित आदेश :- माननीय विधायक न्यायालय द्वारा
कैटर महीदय जिला उच्चेन : म०प्र०: द्वारा उनके समदा
प्रस्तुत निगरानी प्रकरण क्रमांक ११। निगरानी ११-१२ में
पारित बन्तिम आदेश दिनांक २१। ५। ३१२.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1134-पीबीआर/12

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक ,	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २७.३.१९ को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	 <p>प्रशासकीय सदस्य</p>